

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून १, २०११/ज्येष्ठ ११, १९३३

No. 306]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2011/JYAISTHA 19, 1933

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2011

सा.का.नि. 442(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 24 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 22 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निप्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

- ''23. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यरो ।
 - 24. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ।
 - 25. राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड ।''।

[फा. सं. 1/3/2011-आईआर]

राजीव कपूर, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :--- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अनुसूची को निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधित किया गया था---

- (i) सं. सा.का.नि. 347, तारीख 28 सितम्बर, 2005;
- (ii) सं. सा.का.नि. 235(अ), तारीख 28 मार्च, 2008 ; और
- (iii) सं. सा.का.नि. 726(अ), तारीख 8 अक्तूबर, 2008 ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2011

G.S.R. 442(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 24 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:—

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2011

G.S.R. 442(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 24 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the Second Schedule to the Right to Information Act, 2005, after serial number 22 and the entry relating thereto, the following serial numbers and entries shall be added, namely

- "23. Central Bureau of Investigation,
- 24. National Investigation Agency,
- 25. National Intelligence Grid.".

[F.No.1/3/2011-IR] RAJEEV KAPOOR, Jt.Secy.